हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.20 / 2.20 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2.2.20 को पेश हो।	
2.20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. काश्तकारी अधि: 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की कृषि आ.सं. 1611 रकबा 04 बिस्वा, 1613 रकबा 15 बिस्वा, 1621 रकबा 11 बिस्वा, 1622 रकबा 16 बिस्वा, 1623 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 05 ~~बिस्वा~~ कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम सुरास परवार हल्का सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित है जिसमे प्रार्थिया का 2/3 हक हिस्सा निहित है तथा प्रार्थिया को अपनी आराजी नं. 1613, 1621, 1622, 1623 मे काश्त करने हेतु आने जाने बुआई हेतु ट्रेक्टर, सांड, बैलगाड़ी व पैदल आने जाने व फसल अवेरने हेतु रास्ता आबादी भूमि आ.नं. 1636 मे स्थित रास्ते से होकर ग्राम सुरास परवार हल्का सुरास त. मांडल कि आ.नं. 1624 रकबा 09 बिस्वा भूमि की दक्षिणी पूर्वी मेड से होते हुए प्रार्थिया अपनी आ.नं. 1621, 1622, 1623 1613 मे आते-जाते रहे है उक्त आ.नं. 1624 विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 नन्दलाल, श्रवणी, भागवति, गीता पुत्री मथुरा तेली निवासी सुरास के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त आ.नं. 1625 रकबा 09 बिस्वा भूमि कि दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थिया के अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से विपक्षीगण 01 लगायत 04 की नियत मे फितूर उत्पन्न हो गया है और आये दिन रास्ते मे अवरोध उत्पन्न कर उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा है प्रार्थिया की आराजियात मे आने जाने के उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे मार्क अ व से दर्शाया	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

गया है जो वर्तमान मे प्रार्थना पत्र का अंग है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थिया कि आराजियात मे आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है इसि लिए प्रार्थिया का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को अपनी आ०नं० 1621, 1622, 1623, 1613 मे आवागमन हेतु विपक्षी सं० 01 लगायत 04 कि आ०नं० 1624 मे दक्षिणी पूर्वी दिशा की मेड पर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता जिसे नजरी नक्शे मे मार्क अ, ब से दर्शाया गया है वो रास्ते के रूप मे कायम कर खुलासा कर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे, इस हेतु प्रार्थिया श्र० सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि अदा करने के लिए सदैव से तैयार एवं तत्पर है। विपक्षी सं० 5 नागा होली प्रार्थिया का सहखातेदार होने से पक्षकार कायम किया गया है।

वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.9.18 को पंजिकृत किया जाकर जरिए सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये व विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने से दिनांक 29.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा दिनांक 16.5.2019 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर शा० प० की जाकर वकील प्रार्थिया की एक तरफ बहस सुनी जाकर दिनांक 21.5.2019 को प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को अपनी आराजियात के आवागमन हेतु विपक्षी सं० 01 लगायत 04 की आराजी नं० 1624 रकबा 09 बिस्वा भूमि मे से दक्षिणी-पूर्वी मेड के सहारे-सहारे दो-ढाई गट्ठा चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया जिसका रकबा 02 बिस्वा भूमि बनती है जो विपक्षी सं० 01 लगायत 04 के खाते मे से कम किया जाकर राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मे बिलानाम रास्ते मे दर्ज किये जाने का व उक्त 02 बिस्वा भूमि कि वर्तमान मे D.L.C. दर से डबल राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर विपक्षी सं. 01 लगायत 04 को दिये जाने के आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-5-2019 को पारित आदेश कि विपक्षी सं. 01 लगायत 04 द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील महोदय भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्र० सं. T.A/131/2019/934 पर दर्ज हो बाद सुनवाई के दिनांक 30.8.2019 को निर्णित की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.5.2019 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः इस न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय मे वर्णित ऑब्जर्वेशन के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेज के आधार पर गुणाव गुण पर विस्तृत निर्णय पारित करे।

अपीलीय न्यायलय के आदेशानुसार पत्रावली रिमाण्ड से पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7-10-2019 को पुनः दर्ज कर उभयपक्षो को जरिये सम्मन नोटिस के सूचित किया गया तथा दिनांक 29.11.2019 को पुनः तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर दिनांक 12.12.2019 तहसीलदार माण्डल द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शा० प० की गई तथा उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर दिनांक 12.12.2019 को विपक्षी गण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जाहिर की और पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार माण्डल को पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण

उपखण्ड अधिकारी

कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर दिनांक 04-02-2020 को पक्षकारो की उपस्थिति मे तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 7-2-2020 को इस न्यायालय को प्रस्तुत की जिसे दिनांक 20-2-2020 की आदेशिका मे अंकित कर शामिल पत्रावली की गई तथा दिनांक 20-2-2020 को ही विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब मय दस्तावेज पेश किये जिसकी प्रति प्रार्थिया के अधिवक्ता को दिलायी जाकर जवाब व दस्तावेज शामिल पत्रावली किया गया, उभयपक्षो के निवेदन पर बहस अन्तिम सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपने प्रा० पत्र मे वर्णित तथ्यो को दुहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया को अपनी आराजी नं. 1621, 1622, 1623, 1613 मे आवागमन करने, फसल काश्त करने, व अवेरने हेतु संज, बैलगाडी, ट्रेक्टर व कृषि उपकरण व उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की आ०नं. 1625 रकबा 09 बिस्वा भूमि की दक्षिणी पूर्वी मेड के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर खुलासा कराया जावे इस हेतु प्रार्थिया ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक 21-5-2019 को पारित निर्णय/आदेश की पालना मे आदेशानुसार मुआवजा राशि भी तहसीलदार माण्डल के समक्ष जरिए D.D. के जमा कराई गई थी जो विपक्षीगण को प्राप्त हो चुके है तथा उक्त रास्ता प्रार्थिया कि आराजी मे आवागमन का एक मात्र रास्ता होकर अत्यन्त ही आवश्यकता का रास्ता है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थिया की आराजी मे आवागमन हेतु अन्य कोई लघुतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से लेकर आज दिन तक कुल 04 मर्तबा तहसीलदार माण्डल द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत की गई उक्त सभी मौका रिपोर्ट मे प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

द्वारा विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 की आराजी सं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड के सहारे-सहारे होकर अपनी आराजियात के आवागमन किये जाने वाले उक्त रास्ते को ही एक मात्र लघुतम रास्ता होना बताया है व प्रार्थिया के उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना जाहिर नही आया है अतः उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से विपक्षी सं. 01 लगायत 04 प्रार्थिया के उक्त अत्यन्त आवश्यकता के रास्ते को बन्द कर प्रार्थिया द्वारा उपयोग-उपभोग करने से वंचित करने पर आमादा है अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को अपनी आ. नं. 1621, 1622, 1623, 1613 मे आवागमन हेतु विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की आ. नं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड पर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता जिसे नक्शे मे मार्क अ. ब से दर्शाया गया है को रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर खुलासा कराया जावे।

इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का पुर जोर रूप से विरोध करते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया ने अपनी उक्त आराजियात विपक्षीगण के भाईयो से क्रय कर आधिपत्य मे ली है तथा प्रार्थिया कि आराजियात मे आवागमन करने हेतु मौके पर आ. नं. 1610 व 1612 के बीच 20 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान है जिससे होकर ही प्रार्थिया अपनी आ. नं. 1621, 1622, 1623 मे आवागमन करती चली आ रही है परन्तु उक्त रास्ता दीर्घतम होने से प्रार्थिया विपक्षीगण की आराजी नं. 1624 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ (पाली) जो 08 फीट चौड़ी है जिसे विपक्षीगण ने अपनी आराजियात के चारो तरफ घूमने हेतु छोड़ रखी है को नये सिरे से सुगमता हेतु अपनी आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ते के रूप मे खाता रास्ते के रूप मे नये सिरे से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहती है तथा आ. नं. 1613 जो प्रार्थिया कि आराजी है जो रास्ते के सटमा है उक्त तथ्य को छिपा कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो वैकल्पिक रास्ता होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

मैने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली के साथ सलग्न दस्तावेजो व तहसीलदार मांडल द्वारा, प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कि दिनांक से लेकर आज दिन तक प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्टो (सभी) का व माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गये ऑबजर्वेशन व दिशा निर्देशोनुसार अवलोकन किया तो जाहिर आया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील-मांडल मे प्रार्थिया के नाम पर आराजी नं० 1621, 1622, 1623, 1624 भूमि सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद सम्वत 2073 से 2076 के जमाबन्दी से होती है तथा प्रार्थिया अपनी उक्त आराजियात का उपयोग-उपभोग करने फसल काश्त करने व उपज अवेरने हेतु आ०नं० 1625 रकबा 09 बिस्वा भूमि के दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे रास्ते का उपयोग-उपभोग किया जा रहा है तथा उक्त आ०नं० 1624 विपक्षीगण 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 से होती है तथा आबादी भूमि आराजी नं० 1636 मे स्थित आबादी के रास्ते से होकर विपक्षी सं० 01 से 04 की आराजी नं० 1624 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर से प्रार्थिया अपनी आराजी नं० 1621, 1622, 1623, 1624 तक संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क- अ ब से दर्शित 20 फीट-चौड़ाई के रास्ते की मांग करते हुए उक्त रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा है। तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता सं० 333 मे दर्ज आ०नं० 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 व खाता सं० 334 मे दर्ज आ०नं० 1603 व खाता सं० 335 मे दर्ज आ०नं० 1610, 1612, 1624 विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना जाहिर है तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रैस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजी नं० 1621, 1622, 1623, 1613 व आबादी भूमि आ०नं० 1636 के मध्य विपक्षीगण की आराजी नं० 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1624 स्थित है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजियात विपक्षीगण की आराजियात से घिरी हुई है

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
व प्रार्थिया की आराजी नं. 1621, 1622, 1623, 1613 के आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है। साथ ही विपक्षीगण ने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि विपक्षीगण 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1624 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर 08 फीट चौड़ाई की पाली (मेड़) अपनी आराजियात पर घूमने हेतु छोड़ रखी है तथा प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से लेकर आज दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत कुल 04 मौका निरीक्षण रिपोर्टो व नक्शो का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थिया अपनी आ. नं. 1621, 1622, 1623, 1613 मे विपक्षी सं. 01 से 04 के नाम दर्ज आराजी नं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड पर स्थित रास्ते से होकर ही अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग व आवागमन करती है तथा उक्त रास्ते को तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत सभी मौका निरीक्षण रिपोर्टो मे बताया गया साथ ही सभी मौका निरीक्षण रिपोर्टो मे प्रार्थिया कि आराजियात मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता होना जाहिर नही आया है। इस प्रकार पत्रावली के एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट सभी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजी नं. 1621, 1622, 1623, 1613 मे आवागमन करने हेतु विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे रास्ते के सिवाय अन्य कोई वैकल्पिक रेकोर्डेड रास्ता विद्यमान नही है तथा प्रार्थिया इसी रास्ते से होकर अपनी आराजियात मे आवागमन करती चली आ रही है तथा उक्त रास्ता प्रार्थिया का अत्याधिक आवश्यकता का रास्ता होकर लघुत्तम रास्ता भी है एंव विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि आराजी नं. 1624 पर भी 08 फीट चौड़ी पाली (मेड़) छोड़ रखी है जो विपक्षीगण की आराजियात मे घूमने के काम मे ली जाती है इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी नं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड पर काश्त नही होकर आवागमन के ही काम मे ली जा रही है जिसकी पुष्टि दिनांक 06-02-2020 तहसीलदार मांडल द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मे तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट से होती है जिसमे उ...
आराजी नं. 1624 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ की नक्शे अनुसा...
मे दर्शाये अनुसार 12 फीट चौड़ी होना जाहिर है मौ...
निरीक्षण रिपोर्ट मे प्रतिवादी वशीलाल मौकेपर उपस्थित हो...
पर भी हस्ताक्षर करने पर मना कर दिया।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीका... किया जाना उचित समझता हूं, तथा चूंकि विपक्षीगण की आराजी का रकबा 09 बिस्वा ही है इस कारण प्रार्थिया को 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उचित नही होकर केवल 15 फीट चौडाई का रास्ता ही विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1624 की दक्षिणी-पूर्वी मेड के सहारे-सहारे आबादी भूमि आराजी नं. 1636 से प्रार्थिया की आराजी नं. 1622 तक दिया जाना उचित समझता हूं, तथा इसी अनुसार वर्तमान रास्ते को 15 फीट तक चौड़ाई मे खुलासा किया जाना भी उचित ही है तथा प्रार्थिया ने पूर्व मे ही ढाई गठ्ठा चौड़ी भूमि न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशी का भुगतान तहसीलदार माण्डल के मार्फत जरिये D.D. के विपक्षी सं. 01 लगायत 04 को अदा किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे अब नये सिरे से कोई मुआवजा राशि विपक्षी गण को दिलाया जाना उचित नही समझता हूं। अत:

: : आदेश : :

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 251-A राजस्थान ...श्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर ...म सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील-माण्डल जिला ...लवाड़ा मे स्थित प्रार्थिया की आराजी नं. 1621, 1622 ...23, 1613 मे आवागमन हेतु व कृषि उपकरण ... उपज के लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण 01 लगायत ... के नाम दर्ज आराजी नं. 1624 रकबा 09 बिस्वा ...म मे से दक्षिणी-पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे 15 ... चौड़ाई का रास्ता आबादी भूमि की आराजी ... 1636 मे स्थित रास्ते से लेकर प्रार्थिया की

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नं. 1621, 1622, 1623, 1613 तक जाने के लिए विपक्षीगण 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1625 रकबा 09 बिस्वा भूमि मे से 0.02 बिस्वा भूमि मे से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तथा तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना कर रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के उपरान्त उक्त रास्ते को 15 फीट चौड़ाई अनुसार मौके पर खुलासा किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मांडल को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 12:11:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: